क्रम-[illegible]या—259

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार 6 अक्टूबर, 2001**

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2460/सत्रह–वि–1–1 (क) 33/2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 15 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ख) "नागरिकों के पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–1) "नागरिकों के अति-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–2) "नागरिकों के अत्यधिक-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग-ग में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–3) "नागरिकों के अन्य -पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों, नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों और नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से है;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा–3 में, उपधारा (1), (2), (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा :–

| | |
|---|---|
| (क) अनुसूची तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में | दस प्रतिशत |
| (ख) अनुसूची तीन के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में | ग्यारह प्रतिशत |
| (ग) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में | एक प्रतिशत |
| (घ) नागरिकों के पिछड़े वर्गों के मामले में | पाँच प्रतिशत |
| (ङ) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों के मामले में | नौ प्रतिशत |
| (च) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों के मामले में | चौदह प्रतिशत |

परन्तु खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिये भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

"(3) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में.–

(क) अनुसूची–तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग–ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा;

(ख) उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि ऐसी अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।

(3–क) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में–

(क) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(ख) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(ग) नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और, यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(3–ख) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति, उपधारा (3) या उपधारा (3-क) के अधीन की गई भर्ती के पश्चात् भी, बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती उतनी बार की जा सकती है जैसी आवश्यक समझी जाय।

(4) जहां किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आरक्षित कोई रिक्ति, उपधारा (3) या उपधारा (3-क) के अधीन की गई भर्ती के पश्चात, या उपधारा (3-ख) के अधीन की गई विशेष भर्ती के पश्चात भी बिना भरे रह जाय तो ऐसी बिना भरी हुई रिक्ति को किसी उत्तरवर्ती भर्ती के वर्ष या वर्षों में एक पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है और ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना, भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ, नहीं की जायगी।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।''

अनुसूची-एक और अनुसूची-दो का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रख दी जाएंगी, अर्थात्—

"अनुसूची—एक

[धारा 2 (ख), (ख–1), (ख–2) देखिये]

**भाग—क**

1—अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय

**भाग—ख**

1—सोनार, सुनार, स्वर्णकार
2—जाट
3—कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार
4—गिरि
5—गूजर
6—गोसाई
7—लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
8—कम्बोज

**भाग—ग**

1—अरख, अर्कवंशीय
2—काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
3—कहार, कश्यप
4—केवट, मल्लाह, निषाद्
5—किसान
6—कोइरी
7—कुम्हार, प्रजापति
8—कसगर
9—कुजड़ा या राईन
10—गड़ेरिया, पाल, बघेल
11—गद्दी, घोसी
12—चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
13—छीपी, छीपा
14—जोगी
15—झोजा
16—डफाली
17—तमोली, बरई, चौरसिया
18—तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
19—दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
20—धीवर
21—नक्काल
22—नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
23—नायक
24—फकीर
25—बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
26—बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान
27—बारी
28—बैरागी
29—बिन्द
30—बियार
31—भर, राजभर
32—भुर्जी, भड़भूजा, भूंज, कांदू, कशोधन
33—भठियारा
34—माली, सैनी
35—स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
36—लोहार, लोहार-सैफी
37—लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
38—रंगरेज, रंगवा
39—मारछा
40—हलवाई, मोदनवाल

41—हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
42—राय सिक्ख
43—सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
44—धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
45—कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
46—नानबाई
47—मीरशिकार
48—शेख, सरवरी (पिराई), पीराही
49—मेव, मेवाती
50—कोष्टा/कोष्टी
51—रोड़
52—खुमरा, संगतराश, हंसीरी
53—मोची
54—खागी
55—तंवर, सिंघाड़िया
56—कतुआ
57—माहीगीर
58—दांगी
59—धाकड़
60—गाडा
61—तंतवा
62—जोरिया
63—पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
64—कलाल, कलवार, कलार
65—मनिहार, कचेर, लखेरा
66—मुराव, मुराई, मौर्य
67—मोमिन (अंसार)
68—मुस्लिम कायस्थ
69—मिरासी
70—नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे करण (कर्ण)''

''अनुसूची-दो

[धारा 3 (1) देखिए]

एक–संवैधानिक पद

ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो,

(क) भारत का राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ख) भारत का उप राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक हो या रहा हो;

(ङ) इसी प्रकार के किसी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो या रहा हो।

दो–सेवा श्रेणी

**(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री—**

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता-पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जायं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो।

**(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री—**

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों, और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता-पिता में से पिता समूह क या श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख या श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता-पिता में से माता समूह क या श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

**स्पष्टीकरण**—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद "स्थायी अक्षमता का" तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाय।

**(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी—**

ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

तीन–अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता-पिता, जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ-सेना, वायु-सेना और अर्द्धसैनिक बलों में उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री।

**स्पष्टीकरण**—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जायगा।

चार–व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्नलिखित पर लागू होंगे

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति।

**स्पष्टीकरण**—(एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जायगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच–सम्पत्ति स्वामी

**(क) कृषि भूमि जोत—**

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री—

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

**स्पष्टीकरण**—पद ''कानूनी अधिकतम जोत सीमा'' और ''परिवर्तन फार्मूला'' का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जायगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

**(ख) पौधा रोपण—**

(एक) काफी, चाय, रबर आदि—

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निबूवंश, सेव आदि—

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जायगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

**(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन—**

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

छः–आय या सम्पति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री —

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

**स्पष्टीकरण**—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो अन्तराल कम भी हो सकता है।''

लम्बित भर्तियों के लिए विशेष उपबन्ध

5—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवाओं और पदों पर ऐसी भर्ती के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हैं।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) कोई भर्ती लम्बित समझी जाएगी यदि उस भर्ती के अनुसरण में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व कोई भी नियुक्ति न की गई हो;

(ख) पद "लोक सेवाओं और पदों" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मूल अधिनियम में समनुदेशित है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2001

6—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया है। आरक्षण नीति के पुनर्विलोकन से यह प्रकाश में आया कि अनुसूचित जातियों और नागरिकों के पिछड़े वर्गों में से केवल कुछ जातियों से संबंधित व्यक्ति ही अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं और अनुसूचित जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से कतिपय अन्य जातियों से संबंधित व्यक्तियों को लोक सेवाओं और पदों पर सम्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे अनुसूचित जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में सम्मिलित सभी जातियां राज्य में आरक्षण नीति से लाभान्वित हो सकें और उन्हें लोक सेवाओं और पदों में सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। यह विनिश्चय किया गया कि अनुसूचित जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवाओं और पदों में उनकी जन-संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जातियों को दो श्रेणियों में और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों में अग्रतर वर्गीकृत करने और उन्हें लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया। तदुपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था भी कर दी जाय :–

(1) किसी भर्ती का वर्ष में आरक्षण उस वर्ष की रिक्तियों या संवर्ग के पचास प्रतिशत की सीमा तक होगा;

(2) किसी आरक्षित श्रेणी की बिना भरी हुई रिक्तियों को भरने के लिए अधिकतम तीन विशेष भर्ती के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना;

(3) किसी आरक्षित वर्ग की बिना भरी रिक्तियों को पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में तब तक अग्रनीत करना जब तक वे भर न जायं;

(4) विभिन्न आरक्षित वर्गों से संबंधित आरक्षण बिन्दुओं को इंगित करते हुए कुल संवर्ग पर रोस्टर जारी करना।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2460 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-33-2001

*Dated Lucknow, October* 6, 2001

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

# THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. Act No. 21 of 2001)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment)Act, 2001.

(2) It shall be deemed to come into force on September 15, 2001.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 4 of 1994

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause *(b)*, the following clauses shall be *substituted*, namely :—

*"(b)* 'backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Part-A of Schedule I ;

*(b-1)* 'more backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Part-B of Schedule I;

*(b-2)* 'most backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Part-C of Schedule I ;

*(b-3)* 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens, more backward classes of citizens and most backward classes of citizens."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, *for* sub-sections (1), (2), (3), (4) and (5) the following sub-sections shall be *substituted,* namely :—

"(1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens,—

| | |
|---|---|
| *(a)* in the case of Scheduled Castes specified in Part-A of Schedule-III | ten per cent ; |
| *(b)* in the case of Scheduled Castes specified in Part-B of Schedule-III | eleven per cent ; |
| *(c)* in the case of Scheduled Tribes | one per cent ; |
| *(d)* in the case of backward classes of citizens | five per cent ; |
| *(e)* in the case of more backward classes citizens | nine per cent ; |
| *(f)* in the case of most backward classes of citizens: | fourteen per cent; |

Provided that the reservation under clause\$ *(d), (e)* and *(f)* shall not apply to the category of other backward classes of citizens specifiea in Schedule II.

(2) The reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed, in any year of recruitment fifty per cent of the total vacancies of that year as also fifty per cent of the cadre strength of the service to which the recruitment is to be made.

(3) If, in any year of recruitment, suitable candidates belonging to,—

*(a)* the Scheduled Castes specified in Part-A of Schedule III are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes specified in Part-B of the said Schedule ;

*(b)* the Scheduled Castes specified in Part-B of the said Schedule are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes specified in Part-A of the said Schedule ;

*(c)* the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes specified in Part-B of the said Schedule and if the persons belonging to such Scheduled Castes are also not available, such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes specified in Part-A of the said Schedule.

(3-A) If in any year of recruitment, suitable candidates belonging to,—

*(a)* the most backward classes of citizens are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to more backward classes of citizens and if the persons belonging to more backward classes of citizens are also not available, such vacancies shall be filled by persons belonging to backward classes of citizens ;

*(b)* the more backward classes of citizens are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to most backward classes of citizens and if the persons belonging to most backward classes are also not available, such vacancies shall be filled by persons belonging to backward classes of citizens ;

*(c)* the backward classes of citizens are not available to fill the vacancies reserved for them, such vacancies shall be filled by persons belonging to most backward classes of citizens and if the persons belonging to most backward classes of citizens are also not available, such vacancies shall be filled by persons belonging to more backward classes of citizens.

(3-B) If, in respect of any year of recruitment any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled even after recruitment made under sub-section (3) or sub-section (3-A), special recruitment may be made for such number of times as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(4) Where, in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1), remains unfilled even after recruitment made under sub-section (3) or sub-section (3-A) or even after special recruitment under sub-section (3-B) such unfilled vacancy may be filled up in any suceeding year or years of recuitment as a separate class of vacancy and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year of the recruitment in which it is being filled up, for the purpose of determining the ceiling of fifty percent reservation of the total vacancies of that year.

(5) The State Government shall for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster comprising the total cadre strength of the public service or post indicating therein the reservation points and the roster so issued shall be implemented in the form of a running account from year to year until the reservation for various categories of persons mentioned in sub-section (1) is achieved, and the operation of the roster and the running account shall, thereafter, come to an end. As and when a vacancy arises, thereafter in a public service or post the same shall be filled from amongst the persons belonging to the category to which the post belongs in the roster."

4. *For* Schedule I and Schedule II to the principal Act, the following Schedules shall be *substituted*, namely :— Substitution of Schedule I and Schedule II

"SCHEDULE-I

[*See* section 2 *(b)*, *(b-1)* and *(b-2)*]

**Part-A**

1. Ahir, Yadav, Gwala, Yaduvanshiya

**Part-B**

1. Sonar, Sunar, Swarnkar
2. Jat
3. Kurmi, Chanau, Patel, Patanwar, Kurmi-Mall, Kurmi-Seinthwar
4. Giri
5. Gujar
6. Gosain
7. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput
8. Kamboj

**Part-C**

1. Arakh, Arakvanshiya
2. Kachchi, Kachchi-Kushwaha, Shakya
3. Kahar, Kashyap
4. Kewat, Mallah, Nishad
5. Kisan
6. Koeri
7. Kumhar, Prajapati
8. Kasgar
9. Kunjra or Raeen
10. Gareria, Pal, Vaghel
11. Gaddi, Ghoshi,
12. Chikwa, Qassab Qureshi, Chak
13. Chhippi, Chipa
14. Jogi
15. Jhoja
16. Dhafali
17. Tamoli, Barai, Chaurasia
18. Teli, Samani, Rogangar, Sahu, Rauniar, Gundhi, Arrak
19. Darji, Idrisi, Kakutstha
20. Dhiver
21. Naqqal
22. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
23. Naik
24. Faqir
25. Banjara, Ranki, Mukeri, Mukerani
26. Barhai, Saifi, Vishwakarma, Panchal, Ramgadhiya, Jangir, Dhiman
27. Bari
28. Beragi
29. Bind
30. Biyar
31. Bhar, Raj-Bhar
32. Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu, Kashaudhan
33. Bhathiara
34. Mali, Saini
35. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category), Halalkhor
36. Lohar, Lohar-Saifi
37. Lonia, Nonia, Gole-Thakur, Lonia-Chauhan
38. Rangrez, Rangwa
39. Marchcha
40. Halwai, Modanwal
41. Hajjam, Nai, Salmani, Savita, Sriwas
42. Rai Sikh
43. Sakka-Bhisti, Bhisti-Abbasi,
44. Dhobi (Those not included in the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category)
45. Kasera, Thathera, Tamrakar
46. Nanbai

47. Mirshikar
48. Shekh, Sarwari (Pirai), Peerahi
49. Mev, Mewati,
50. Koshta/Koshti
51. Ror
52. Khumra, Sangatarash, Hansiri
53. Mochi
54. Khagi
55. Tanwar Singharia
56. Katuwa
57. Maheegeer
58. Dangi
59. Dhakar
60. Gada
61. Tantawa
62. Joria
63. Patwa, Patahara, Patehara, Deovanshi
64. Kalal, Kalwar, Kalar
65. Manihar, Kacher, Lakhara
66. Murao, Murai, Maurya
67. Momin (Ansar)
68. Muslim Kayastha
69. Mirasi
70. Naddaf (Dhuniya), Mansoori, Kandere, Kadere, Karan (Karn)"

"SCHEDULE-II

[*See* section 3 (1)]

I. CONSTITUTIONAL POSTS :—

Son or daughter of a person who is or has been,—

*(a)* the President of India ;

*(b)* the Vice President of India ;

*(c)* the Judges of the Supreme Court or High Courts ;

*(d)* the Chairman or Member of the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, the Chief Election Commissioner or the Comptroller and Auditor-General of India ;

*(e)* On any other constitutional post of like nature.

II. SERVICE CATEGORY :—

(A) Group A or Class I officers of the All India, Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter of :—

*(a)* parents, both of whom are Group A or Class I officers ;

*(b)* parents, either of whom is a Group A or Class I officer ;

*(c)* parents, both of whom are Group A or Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation ;

*(d)* parents, either of whom is a Group A or Class I officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, World Bank, etceteras., for a period of not less than five years; and

*(e)* parents, both of whom are Group A or Class I officers and such parents die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation such as the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etceteras for a period of not less than five years.

(B) Group B or Class II officers of the Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter or :—

*(a)* parents, both of whom are Group B or Class II officers ;

*(b)* parents of whom only the father is a Group B or Class II officer and he gets into Group A or Class I at the age of forty year or earlier ;

*(c)* parents, both of whom are Group B or Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisation, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etcetera for a period of not less than five years before such death or permanent incapacitation ;

*(d)* parents of whom the father is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the mother is a Group B or Class II officer and the mother dies or suffers permanent incapacitation ; and

*(e)* parents of whom the mother is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and, the father is Group B or Class II officer and the father dies or suffers permanent incapacitation.

*Explanation*— For the purposes of this category it is clarified that the expression, "permanent incapacitation" means incapacitation which results in putting an officer out of service.

(C) Employees in Public Sector Undertakings :—

The criteria specified in sub-category (A) and (B) above shall apply *mutatis mutandis* to officers holding equivalent or comparable posts in Public Sector Undertakings, Banks, Insurance Organisation, Universities etceteras and also to equivalnt or comparable posts and positions under private employment pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in category IV below shall apply to the officers in these institutions.

III—ARMED FORCE INCLUDING PARA MILITARY FORCES (Persons holding civil posts are not included)

Son or daughter of parents, either or both of whom are in the rank of Colonel and above in the Army or to equivalent posts in the Navy, the Air Force and Para Military Forces.

*Explanation*—For the purposes of this category the service ranks below Colonel of father and mother shall not be clubbed, together.

IV—PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY

The criteria specified in category VI below shall apply to—

(A) The persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax consultant, dental surgeon, engineer, architect, film artist and other film professional, author, play-wright, sports persons, sport professional, media professional or any other vacations of like status; and

(B) The persons engaged in trade, business and industry.

*Explanation* — (i) Where the father is in any profession and the mother is in a Group B or Class II or lower grade employment, the criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the father's income and the mother's income shall not be clubbed with it.

(ii) where the mother is in any profession and the father is in a Group B or Class II or lower grade employment, the criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the mother's income and the father's income shall not be clubbed with it.

V-PROPERTY OWNERS

(A) Agricultural holdings :—

Son or daughter of parents, either of whom together with his family, which includes self, his spouse and minor children, holds —

*(a)* only irrigated land which is equal to or more than Eighty five per cent of the statutory ceiling limit, or

*(b)* both irrigated and unirrigated land, where the irrigated land (having been brought to a Single type under a common denominator) is not less than forty per cent of the statutory ceiling limit for the irrigated land, the unirrigated land shall be converted into the irrigated land on the basis of the existing conversion formula and the irrigated area so computed shall be added to the actual area of the irrigated land and the total area so arrived at in terms of irrigated land is equal to or more than Eighty per cent of the statutory ceiling limit for irrigated land.

*Explanation*—The terms "statutory ceiling limit" and "conversion formula" shall be construed in accordance with the law relating to ceiling on the land holdings of that area in which the land in question is situated.

(B) Plantations :—

(1) Coffee, tea, rubber etceteras.

The criteria specified in the category VI below shall apply—

(2) Mango, citrus, apple etcetera.

The land of such plantations shall be deemed to be agricultural holding and the criteria specified under sub-category (A) above shall apply.

(C) Vacant land or buildings in urban area or urban agglomerations :—

The criteria specified in category VI below shall apply.

*Explanation*— For the purposes of this sub-category it is clarified that building may be used for residential commercial or industrial purpose and the like two or more such purposes.

VI—INCOME OR WEALTH CRITERIA

Son or daughter of:—

*(a)* the persons having gross annual income of rupees three lakhs or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act., 1957 for a period of three consecutive years ;

*(b)* the persons specified in categories I, II, III or V (A) who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources which will bring them within the criteria specified in sub-category (a) above.

*Explanation*— For the purposes of this category it is clarified that—

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;

(ii) the income criteria in terms of rupee shall be modifed taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interregnum may be less."

5. *After* Schedule II to the principal Act, the following Schedule shall be *inserted*, namely :— Insertion of new Schedule III

"SCHEDULE-III

[*See* Section 3 (3) ]

**Part A**

1. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava

**Part B**

1. Agariya
2. Badhik
3. Badi
4. Baheliya
5. Baiga
6. Baiswar
7. Bajaniya
8. Bajgi
9. Balahar
10. Balai
11. Balmiki
12. Bangali
13. Banmanus
14. Bansphor
15. Barwar
16. Basor
17. Bawariya
18. Beldar
19. Beriya
20. Bhantu
21. Bhuiya
22. Bhuyiar
23. Boria
24. Chero
25. Davgar
26. Dhangar
27. Dhanuk
28. Dharkar
29. Dhobi
30. Dom
31. Domar
32. Dusadh
33. Gharami
34. Ghasiya
35. Gond
36. Gual
37. Habura
38. Hari
39. Hela
40. Kalabaz
41. Kanjar
42. Kapariya
43. Karwal
44. Khairaha
45. Kharwar (excluding benbansi)
46. Khatik
47. Khorot
48. Kol
49. Kori
50. Korwa
51. Lalbegi
52. Majhwar
53. Mazhabi
54. Musahar
55. Nat
56. Pankha
57. Parahia
58. Pasi, Tarmali
59. Patari
60. Rawat
61. Saharya
62. Sanaurhiya
63. Sansiya
64. Shilpkar
65. Turaaiha."

cial provision for pending recruitments

6. The provisions of the principal Act, as amended by this Act, shall also apply in respect of such recruitments to public services and posts as are pending on the date of the commencement of this Act.

*Explanation*— For the purposes of this section,—

*(a)* a recruitment shall be deemed to be pending if in pursuance of that recruitment no appointment has been made before such commencement ;

*(b)* the expression "public services and posts" shall have the meaning assigned to it in the principal Act.

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh Public Services Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 18 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 has been enacted to provide for the reservation in Public services and posts in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens and for matters connected therewith and incidental thereto. A review of the reservation policy showed that persons belonging to some of the Scheduled Castes and backward classes of citizens only have been benefitted most, and persons belonging to certain other Castes of Scheduled Castes and other backward classes of citizens could not get due representation in public services and posts. It was, therefore, considered necessary and expedient to provide reservation in such way that all the castes included in the Scheduled Castes and other backward classes of citizens be benefitted and be given due representation in public services and posts, by the reservation policy it was decided to amend the said Act to the Scheduled Castes into two categories and the other backward classes of citizens into three categories keeping in view their representation in public services and posts in proportion to their population and provide them reservation in public services and post accordingly.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 18 of 2001) was promulgated by the Governor on September 15, 2001.

Thereafter it has been decided to provide in the aforesaid Act also for,—

(1) the reservation in any year of recruitment to the extent of fifty per cent of vacancies of that year or of the cadre ;

(2) abolition of restrictions of maximum three special recruitment for unfilled vacancies of a reserved category ;

(3) carry forward of unfilled vacancies of any reserved categories as a separate class of vacancies until filled ;

(4) issue of roster on the cadre strength by indication reservation points relating to various reserve categories.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the aforesaid amendments.

By order,
Y.R. TRIPATHI,
*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 169 सा० विधा०—6-10-2001—(1154)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।